संख्या:-136/2023/001-223आ0-23-5002-002-11-2023-29(भवन)/2020

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 21 जुलाई, 2023**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा में लेखाशीर्षक 2059-80-053-06-00-29 "सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण-सामान्य एवं विशेष मरम्मत" के अन्तर्गत जनपद आगरा, बरेली, वाराणसी, सोनभद्र, आजमगढ़ व कानपुर के अनावासीय भवनों के अनुरक्षण मद के 07 विशेष मरम्मत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-126बीजीबी/112बीजीबी/अना0 भवनों का विशेष मरम्मत/उपयोगिता प्रमाण-पत्र/23-24, दिनांक 20.06.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 के राजस्वलेखा मद के अन्तर्गत जनपद आगरा, बरेली, वाराणसी, सोनभद्र, आजमगढ़ व कानपुर के अनावासीय भवनों के अनुरक्षण मद के 07 विशेष मरम्मत कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देयता **रू0 38.12 लाख (रू0 अड़तीस लाख बारह हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	मूल/ पुनरीक्षित स्वीकृत धनराशि	टेण्डर के पश्चात बचत की धनराशि	आवंटन हेतु कुल धनराशि	पूर्व में आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(धनराशि लाख रू0 में)					
1	30/2023/001-32आ0-23-5-23-29(भवन)/2020, दि0 17.02.2023	आगरा में न्यू सर्किट हाउस की रंगाई-पुताई एवं साज-सज्जा का कार्य।	19.73	0.97	18.76	16.00	02.76	02.75
2	60/2022/001-143 आ0-23-5-22-27 (भवन)/20 20टीसी, दिनांक 21.09.2022	बरेली में लो0नि0 वि0 परिसर में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1 में पुराने भवन की मरम्मत एवं सुधार कार्य। (सिविल कार्य)	18.09	03.09	15.00	08.00	07.00	07.00
3	81/2023/001-143 आ0-23-5-23-02 (भवन)/2023, दिनांक 30.03.2023	Air Conditioning (split A.C.) work for circuit House, Distt Varansi.	20.03	0.08	19.95	16.00	03.95	03.95
4	73/2023/001-128 आ0-23-5-23-29 (भवन)/2020, दिनांक 28.03.2023	सोनभद्र के सर्किट हाउस हेतु एयर कण्डीशनर की स्थापना का कार्य।	22.67	0.10	22.57	18.00	04.57	04.57
5	32/2023/001-40आ0-23-5-23-02(भवन)/2023, दि0 17.02.2023	वाराणसी स्थित निरीक्षण भवन के विशेष मरम्मत(ए0 सी0, गीजर, फैन, फ्रेश एयर फैन एवं ट लाईट) का कार्य।	13.73	0.81	12.92	11.00	01.92	01.92

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6	42/2023/001-81आ0-23-5-23-02(भवन)/2023, दि0 02.03.2023	सर्किट हाउस आजमगढ़ के एयर कन्डीशनर व अन्य उपकरण बदलने का कार्य।	31.09	0.05	31.04	25.00	06.04	06.04
7	72/2023/001-113 आ0-23-5-23-02 (भवन)/2023टीसी, दिनांक 28.03.2023	कानपुर देहात, मुख्यालय माती स्थित राजकीय निरीक्षण भवन में उच्च क्षमता का विद्युत पैनल मेन स्विच केबिल लगाने तथा क्षतिग्रस्त डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एवं सबमेन आदि बदलने का कार्य।	13.27	0.00	13.27	01.38	11.89	11.89
योग :-			**138.61**	**05.10**	**133.51**	**95.38**	**38.13**	**38.12**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 38,12,000(रूपये अड़तीस लाख बारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 2059800530600 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, -सामान्य एवं विशेष मरम्मत मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

..../03..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:-136/2023/001-223आ0(1)/23-5-2023, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी आगरा, बरेली, वाराणसी, सोनभद्र, आजमगढ़ व कानपुर।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य कोषाधिकारी, आगरा, बरेली, वाराणसी, सोनभद्र, आजमगढ़ व कानपुर।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, बरेली क्षेत्र, लो0नि0वि0।
12- अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त, बरेली वृत्त, 44वां(वि0/यॉ0) वृत्त एवं 17वां(वि0/यॉ0) वृत्त, लो0नि0वि0।
13- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा।
14- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, बरेली।
15- अधिशासी अभियन्ता, वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, वाराणसी।
16- अधिशासी अभियन्ता, वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, आजमगढ़।
17- अधिशासी अभियन्ता, वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, कानपुर।
18- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।